न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 31/2014 (75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 2014/00081)

1. जागीरसिंह
2. सार्दुल सिंह

पिसरान मेजासिंह जाति जाट सिक्ख निवासी गगाम माधोगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

3. कुलवन्तकौर पत्नि आत्मासिंह
4. बक्शीशकौर पत्नि प्यारासिंह

जाति जाट सिक्ख निवासी चक–श्योसिंह तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 27.1.2014 प्रकरण संख्या 19/2008 प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 16.5.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.1.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पूर्व में अपीलान्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि गत आराजी खसरा नम्बर 82 मिन रकबा 8 बीघा 13 विस्वा वाकै चक श्यौसिंह तहसील व जिला भरतपुर के रिकार्डेड काबिज खातेदार है। हाल सैटिलमेन्ट में इसका नवीन खसरा नम्बर 69/1.21 है0 बनाया है जो गत के मुकाबले रिकार्ड में 0.17 है0 कम दर्ज है। गत के अनुसार हाल रकबे की पूर्ति कर नक्शा में तरमीम की जावे। अपनी प्रार्थना के समर्थन में संबधित राजस्व रिकार्ड की प्रतियां भी संलग्न की गई। बाद कार्यवाही तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 28.9.2006 से खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील पूर्व में न्यायालय हाजा (संभागीय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आयुक्त भरतपुर) में की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19.3.2008 से तहत अदालत के पूर्व आदेश दिनांक 28.9.2006 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जांच/सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया। तहत अदालत द्वारा यह प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना में पुनः दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2014 पारित किया गया। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2014 के जरिये प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपजिला कलक्टर को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमी–वेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्टस ने तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय के साथ प्रस्तुत किया था कि क्लेरीकल मिस्टेक रकबा कम हो गया है जिसे पूर्ति कराने का अपीलान्ट वखूबी अधिकार रखता है और ऐसी लिपिकीय त्रुटी 136 एल आर एक्ट के तहत ही दुरूस्त की जा सकती है इसके लिये नियमित वाद लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तहत अदालत का यह आब्जरवेशन कि उक्त सुधार केवल दावा से ही तय हो सकता है अवैधानिक है और इस आधार पर सुयोग्य अधीनस्थ अदालत ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जो कतई न्यायोचित नहीं है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। यह कि दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र काश्तकार को रिकार्ड में गलती का पता चलने पर कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है इसकी कोई मियाद नहीं होती। तहसीलदार द्वारा भी रिकार्ड में 0.17 है0 रकबा कम माना है जिसे खसरा नम्बर 55 में सक कम करके सही किया जा सकता है तो फिर तहत अदालत को कम हुये रकबे को पूरा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। बाबजूद इसके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय तथा अर्थमैटीकल गलतियां धारा 136 एल आर एक्ट के तहत ही सही की जाती है इसलिऐ प्रार्थना पत्र मैन्टेबिल न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि जो न्यायिक दृष्टान्त 1990 आर आर डी 440 का हवाला देकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैउसे अधीनस्थ न्यायालय ने मिसरेड किया है । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र सेटेलमेन्ट रिकार्ड में संशोधन कराने का नहीं है बल्कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में रकबा कम अंकित किये जाने से संबधित है इसलिये ये न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर कतई चस्पा नहीं होता है। यह कि पूर्व में भी तहत अदालत ने इन्हीं आधारों पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई थी न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19.3.2008 से अपील स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था किन्तु तहत अदालत ने पुनः पूर्वानुसार उन्हीं आधारों पर अपना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है जो कतई न्यायिक न होकर मनमाने तरीके से किया गया है जो काबिले मंसूखी है। इस प्रकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में धारा 16 आर टी एक्ट कहीं भी आडे नहीं आती है न इस प्रकार की पक्षकारों की प्लीडिंग्स है फिर भी तथ्यों एवं रिकार्ड से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जो काबिले निरस्तनीय है। तहत अदालत/उपखण्डाधिकारी को लैण्ड रिकार्ड दुरूस्ती के वखूबी अधिकार प्राप्त है बाबजूद इसके तहत अदालत ने बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट खारिज किया गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरेअपील दिनांक 27.1.2014 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2014 ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि श्रीमान जी रिमाण्ड प्रकरण निर्णय दिनांक 19.3.2018 की पालना में इस प्रकरण में पुनः विधिवत सुनवाई की गई है। अपीलान्ट की ओर से काई नवीन साक्ष्य पेश नहीं की गई है जबकि अप्रार्थी की ओर से जबाब दिनांक 30.1.2009 से अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 55 की किस्म जमीन गै0मु0 बांध अंकित है तथा सिंचाई के बांध के रूप में है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दी जा सकती है । ऐसे प्रतिबन्धित रकबे से अपीलान्ट के रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती है। सैटिलमेन्ट ऑपरेशन समाप्ति के बाद रकबे में कमी वेशी के प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पोषणीय नहीं है। इसके लिये प्रार्थीगण/अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक व कब्जा वापिसी का दावा पेश करना होगा। भरतपुर तहसील में सैटिलमेन्ट ऑपरेशन सम्वत 2043 (सन् 1986) में सम्पन्न हो गया। सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपखण्डाधिकारी को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमीवेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1990 पृष्ठ 441 पर प्रतिपादित किया गया है कि " Sub Divisional Officer had no right to correect settelmant record after close of settlement operation" सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एक मात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। After close of normal settlement operation land records officer is empowered to try only pending dispute refered to him by settlement officials, After close of sttelement operations proper remedy for a person aggrieved to file a suit in competent revenue court अतः अपीलान्ट जांच करें कि उसके हाल खसरा नम्बर 69/1.21 के आसपास सटे हाल किस खसरा नम्बर में रकबा गत से वेशी है। उस खसरा नम्बर के हितधारी को पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा व कब्जा वापिसी के लिये दावा पेश करें। 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत अपीलान्ट को कोई अनुतोष दिया जाना मुनासिब नहीं है। इन्हीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आधारों पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मैन्टेबिल न होने के कारण खारिज किया गया है जो उचित है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2014 यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 27.1.2014 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति /मातहत अधिकारियों की मौका रिपोर्ट तलब करते हुये बाद परीक्षण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष 136 एल आर एक्ट प्रार्थना पत्र के अंतर्गत जो अनुतोष चाह गया है वह एल आर एक्ट की धारा 136 के तहत मेन्टेबल नहीं है। यह प्रकरण पूर्व में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.3. 2008 से रिमाण्ड किया गया था। राजकीय अधिवक्ता के कथनों से हम सहमत है कि खसरा नम्बर 55 की किस्म जमीन गै0मु0 बांध अंकित है तथा सिंचाई के बांध के रूप में है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दी जा सकती है । ऐसे प्रतिबन्धित रकबे से अपीलान्ट के रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती है। सैटिलमेन्ट ऑपरेशन समाप्ति के बाद रकबे में कमी वेशी के प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पोषणीय नहीं है। इसके लिये प्रार्थीगण/अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक व कब्जा वापिसी का दावा पेश करना होगा। भरतपुर तहसील में सैटिलमेन्ट ऑपरेशन सम्वत 2043 (सन् 1986) में सम्पन्न हो गया। सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उपखण्डाधिकारी को 136 एल आर एक्ट के तहत रकबा कमीवेशी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1990 पृष्ठ 441 पर प्रतिपादित किया गया है कि " Sub Divisional Officer had no right to correect settelmant record after close of settlement operation" सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एक मात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। यह सही है कि 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है एवं इसके अंतर्गत ऐसा कोई निर्णय लिया जाना मुनासिब नहीं रहता है जिससे पक्षकारान के हक हकूकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे यह केवल लिपिकीय त्रुटी सुधार का विषय है। इस प्रकरण में किसी अन्य की खातेदारी में से रकबा कम कर पूर्ति की जानी है जो धारा 136 एल आर एक्ट की समरी कार्यवाही के अंतर्गत संभव नहीं है। इसके अलावा जिस रकबे से अपीलान्ट द्वारा अपने रकबे की पूर्ति की मांग की गई है यह स्पष्ट हो चुका है कि खसरा नम्बर 55 गै0मु0 बांध राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दी जा सकती है । ऐसे प्रतिबन्धित रकबे से अपीलान्ट के रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती है। सैटिलमेन्ट कार्यवाही को भी एक लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अपने अधिकारों के लिये सक्षम न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में घोषणात्मक वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र रहता है लिहाजा यह अपील खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलान्ट द्वारा चाह गया अनुतोष प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत न होने के कारण तहत अदालत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2014 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official